

अनुसूचित जाति / अनुज्ञाति योजना हॉस्टेलिंग पर होठा बैलोचन कार्यक्रम
मोजन दर्ता 2013-14 (विधा संशोधन)

१. उद्देश्य

पृथक् छत्तीसगढ़ राज्य नगर के पश्चात् राज्य का बहुत तोड़ी से संबंधित विकास हो रहा है। आर्थिक उदारीकरण के इस दृष्टि में छत्तीसगढ़ राज्य प्राप्त हुए रूप में विकास हो चुका है। तोड़ी से औद्योगिक विकास हो रहा है, पर्टन औद्योगिक घटकों के —लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों, उच्च शैक्षणिक संस्थान स्थापित हो रहे हैं जहाँ फ्रेन्च रिसेप्शनिस्ट, FNB Services, हाऊस कीपिंग इन्ड्यानी की आवश्यकता होती है। फलतः इस क्षेत्र में कौरियर बनाने की आकला रखने वाले अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के युवक/युवतियों को इस संबंधीय प्रिंसिप्ट योग्यता, क्षमता, दृष्टिकोण के अनुरूप व्यक्तित्व तैयार करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना है। प्रशिक्षण के साथ—साथ नियोजन (Placement) की महत्वपूर्ण है। अतः प्रशिक्षण के पश्चात् नियोजन (Placement) का प्रयास भी किया जायेगा।

२. अनियार्य योग्यता

हॉस्टेलिंग एवं हॉटल मैनेजमेंट डिप्लोमा योजना हेतु चयनित प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की न्यूनतम योग्यता निम्नानुसार होना चाहिए :-

१. अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
२. अभ्यर्थी की जाति छत्तीसगढ़ राज्य के अनु० जाति, अनुसूचित जनजाति के घोषित सूची में होना चाहिए।
३. अभ्यर्थी की आयु १८ से २५ वर्ष के बीच होना चाहिए।
४. अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम १०+२ परीक्षा न्यूनतम ५० प्रतिशत अथवा गणिक अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए।
५. अंग्रेजी बोलने एवं लिखने की न्यूनतम दक्षता होनी चाहिए, तथा १०+२ रस्तर में अंग्रेजी एक विषय होना चाहिए जिसमें उत्तीर्ण होना अनियार्य हो।
६. आद्यों की शोशनी सामान्य एवं लम्बाई के अनुपात में वजन होना चाहिए। तथा शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ (Healthy) होना चाहिए।

३. दौर्घनीय योग्यता

आकर्षक व्यक्तित्व एवं अंग्रेजी भाषा में सम्प्रेषण शीलता प्राप्त अभ्यर्थी को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।

४. लागानिकता की संख्या

इन योजना में कुल 100 छात्र/छात्राओं को लागानिकता किया जायेगा। जिसमें ४० युवतियों एवं २० युवक होंगे, युवकों की संख्या यदि कम होगी तो युवतियों की संख्या में अन्यर्थी समायोजित किये जायेंगे। बजट उपलब्धता के आधार पर अभ्यर्थियों का लाभ परिवर्तनशील होगा।

इस यात्रना के लिए ज्ञात नीम वही रही जो अनुचित जाति/कल्पना
जनजाति पांडु मैत्रि छात्रसंघ के हित निर्धारित है।

६. चयन प्रक्रिया

१. अन्यथियों के आदेश के समान पढ़ के उपर इस चयन के दृष्टिकोण से जारीगे।
२. मृदूतम् चाहता पूर्ण छात्र या छात्रा इनमें २ के दर्शाइ गए अनिवार्य गांधीजी ताहत आदेश पढ़ देनुकूल आदेश जाति तथा अनुसूचित जाति विकास छात्रपुर में दृस्तुति करें।
३. विभागाधीन स्तर पर 'आदेशों का प्रधान स्वीकार' की जायेगी।
४. प्रधान स्वीकार पश्चात् पाठ अन्यथियों का अंतिम चयन चर्चानित प्रसिद्धान संस्थान वही सहनीति से किया जायेगा।

७. प्रशिक्षण संस्था का चयन

- (अ) हौस्पीटेलिंटी एवं होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्था का मान्यता प्राप्त संस्था से लटिकांकन एवं समझौता, अधोसंचयन, प्रशिक्षण की गुणवत्ता, संस्था की विश्वसनीयता, संस्था के गत पाठ वर्षों की उपलब्धि, संस्था का आवकार रिट्न, ऑडिट रिपोर्ट, अनुबंध इत्यादि के आधार पर समाचार पत्रों में रुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन प्रकाशित कराकर प्रस्ताव प्राप्त किये जायेंगे।
- (ब) प्राप्त प्रस्ताव का गुणवत्ता पिछली उपलब्धियों एवं गुण-दोष के आधार पर प्रशिक्षण संस्था का चयन आयुक्त, आदेश जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा।
- (स) राज्य के बाहर की संस्था यदि चयन की जाती है तो उन्हें राज्य मुख्यालय अथवा राज्य के अन्य छाने शहरों में फैच्याजी/ब्रांच स्थापित करना होगा।
- (द) चयन उपरांत प्रशिक्षण संस्था से अनुबंध आयुक्त, आदेश जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर द्वारा किया जायेगा।
- (इ) अनुबंध एवं शाँत आयुक्त द्वारा तय किया जायेगा।
- (फ) प्रशिक्षण उपरांत संस्था द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को उन्नुकूल राजगार दिलाने का प्रयास भी करना होगा हथा राजगार मिलने तक अन्यथियों की Hand Holding की जाएगी।

८. प्रशिक्षण का अवधि

- (१) प्रशिक्षण अवधि एक वर्ष होगी, जिसमें बलास रुम, लायब्रेरी, फिटनेस, गूमिंग एवं इन्सिग्न र्स्वीकारिंग पर कलाई स्थालित की जायेगी एवं किरी स्थानीय या आठदसोर्स करके प्रतिष्ठित कंपनी/संस्थान में ऑन-जॉब प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। बलास रुम एवं ऑन-जॉब प्रशिक्षण की अवधि डिस्ट्रांग बाट्याकर हेतु निर्धारित मापदण्ड के अनुसार होगी।
- (२) ६०% राशि का मुगतान किश्तों में किया जायेगा, शेष ४०% राशि का मुगतान प्लेसमेंट के आधार पर किया जायेगा।

९. आवासीय सुविधा

प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनाये रखने के लिये प्रशिक्षणार्थियों को छावादास एवं मेस सुविधा हेतु संस्था को वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

//3//

- (1) यह प्रशिक्षण दृष्टिवित्त हानि एवं प्रसंकरण का प्रशिक्षण बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके प्रशिक्षण एवं प्रयोग समेत जलवायन विभाग नहीं होता।
- (2) इसीलिए हम इसीलिए प्रशिक्षण करते हैं कि लोगों में जलवायन का ज्ञान होता है कि यह क्या है औ यह क्या करता है। इसके लिए जलवायन का जलवायन विभाग इनसे नियन्त्रित रहा। इसके लिए जलवायन का जलवायन विभाग नहीं है कि यह क्या करता है। इसके लिए जलवायन का जलवायन विभाग नहीं है कि यह क्या करता है।
- (3) प्रशिक्षणरत अन्यथिके का प्रशिक्षण की प्रगति एवं उत्तम तात्पर्य प्रतिमाओं प्रणाली प्रतिशेषन आवृत्ति आदिन जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर को उपलब्ध कराना होगा।
- (4) विभाग स्तर से भी समवय-समृद्ध पर प्रशिक्षण सत्त्वा एवं प्रशिक्षण के गुणवत्ता का निरीक्षण कराया जाएगा। प्रशिक्षण की गुणवत्ता ठीक रहने पर ही आगे प्रशिक्षण प्रारम्भ रहेगा।

स्वीकृति

योजना के संचालन, शुल्क स्वीकृति, अनुबंध आदि हेतु आवृत्ति, आदिन जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर सहम होगे।

(लौही लौही कुंजान)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आदिन जाति तथा अनुजातियोंविधि

124

(3)

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनु जाति विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
// आदेश //

|- 4 SEP 2014

नया रायपुर, दिनांक / 09 / 2014

क्रमांक / एफ-16-166 / 2012 / 25 / 2

Dc

प्रति,

10006(1)
P.C. (Setk)

आयुक्त

आदिम जाति तथा अनु जाति विकास
रायपुर छ.ग.

विषय:-

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के युवक-युवतियों के लिए होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण योजना वर्ष 2013-14 (यथा संशोधित) में संशोधन करने की स्वीकृति।

संदर्भ:-

आयुक्त, आदिम जाति तथा अनु जाति विकास, रायपुर का पत्र क्र. / आदि.यो. / 13 / 2014-14 / 5381 दिनांक 30.7.2014

राज्य शासन एतद् द्वारा आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर के संबंधित प्रस्तावानुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवक-युवतियों के लिए होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण योजना वर्ष 2013-14 (यथा संशोधित) की कांडिका-04 "लाभान्वितों की संख्या" में उल्लेखित वर्तमान प्रावधान में निम्नानुसार संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान करता है:-

वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
इन योजना में कुल 100 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया जायेगा। जिसमें 80 युवतियां एवं 20 युवक होंगे, युवकों की संख्या यदि कम होगी तो युवतियों की संख्या में अभ्यर्थी समायोजित किये जायेंगे। बजट उपलब्धता के आधार पर अभ्यर्थियों का लक्ष्य परिवर्तनशील होगा।	इस योजना में कुल 100 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया जायेगा। बजट उपलब्धता के आधार पर अभ्यर्थियों का लक्ष्य परिवर्तनशील होगा।

2- इस स्वीकृति पर छ.ग. शासन, वित्त विभाग के फाईल क्रमांक / एफ-2014-25-00341 / बी-3/चार, दिनांक 2.9.2014 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

2=378(6)
17.9.2014.छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ. डी. कुमार)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनु जाति विभाग
//2//
17.9.14